



2026:AHC:19522

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 2603 सन् 2026

हीरा लाल याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शैलेंद्र यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ यह रिट याचिका दायर की है:

(ii) प्रतिवादी संख्या 2- उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर को आदेश देने हेतु परमादेश जारी किया जाए, कि वे धारा 389 से 392 राजस्व संहिता नियमावली के अंतर्गत लंबित कंप्यूटर वाद संख्या T T202616530100569 (हीरा लाल बनाम राज्य) के मामले संख्या 569/2026 का, उत्परिवर्तन कार्यवाही के संबंध में, निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय लें।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत प्रतिवादी संख्या 2- उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर के समक्ष 13.12.2023 को कार्यवाही शुरू की थी, जो मामला संख्या 569/2026, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202616530100569 के रूप में पंजीकृत है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

4. राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 2-उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर इस मामले में उचित निर्णय शीघ्रता से लेंगे।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निपटारा इस प्रकार किया जाता है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे उपरोक्त आवेदन पर उचित आदेश यथाशीघ्र पारित करें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो तो किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले की गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं किया है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

28 जनवरी, 2026

टी.एस.

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"